संख्या-34/21-4/2023/001-1484572

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान,

लखनऊ।

भाषा अनुभाग -4 लखनऊ : दिनांक: 01 मार्च, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान संस्थान को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर–वेतन) मद में पंचम किश्त के रूप में धनराशि रू0 127.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-753/हि0सं0/लेखा/2023,दिनांक: 03 फरवरी, 2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ को वचनबद्ध कार्यकलापों व योजनाओं तथा पुरस्कार वितरण हेतु अनुदान संख्या- 39 के अंतर्गत गैर वेतन मद (20) में प्रावधानित धनराशि रु0 762.00 लाख में से संस्थान के पास उपलब्ध विगत वित्तीय वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि रु0 50.37 लाख को समायोजित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु 0 60.00 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में रु0 127.00 लाख, तृतीय किश्त के रूप में रु0 200.00 लाख तथा चतुर्थ किश्त के रूप में रु 0 54.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में पंचम किश्त के रूप में 127.00 लाख (रूपये एक सौ सत्ताईस लाख मात्र) की धनराशि, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी | उक्त अनुदान की धनराशि उ0 प्र0 हिंदी संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी भाषा विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा |

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी एनी प्रयोजन के लिया नहीं किया जाएगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जाएगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त अवशेष धनराशि संस्थान द्वारा समर्पित कर दी जायेगी|

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत व्यय की जाएगी तथा उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग -1 के अध्याय 16ए में उल्लिखित नियमावली में दिए गए हैं ।

(4) इस धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक:मार्च,2023 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय |

(5) उपर्युक्त सम्पूर्ण धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष2022-23 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-39के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता-05-उ0प्र0 हिंदी संस्थान को अनुदान-20-सहायता अनुदान- सामान्य-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जाएगा |

2- यह आदेश वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग -7के अशासकीय पत्र संख्या-ई -7-345/दस/-2022-23, दिनांक: 21-02-2023 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव |

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा –परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ|
5- कोषाधिकारी,आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- वित्त(व्यय –नियंत्रण) अनुभाग -7।
7- भाषा (उर्दू) अनुभाग -4, उत्तर प्रदेश शासन|
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उपमा),
अनु सचिव(भाषा) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।